समक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3233/2005

राधा मोहन राय, आयु लगभग 55 वर्ष, पिता श्री चंद्रिका प्रसाद राय, निवासी– नगर पंचायत बाराद्वार, वार्ड क्रमांक 8, ज़िला जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)।

... . याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, गृह विभाग, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय रायपुर (छत्तीसगढ़)।

2. जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर), ज़िला जांजगीर–चांपा (छत्तीसगढ़)।

... . उत्तरवादीगण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत उपयुक्त परमादेश और उत्प्रेषण तथा अन्य उचित रिट और निर्देश जारी करने के लिए याचिका:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3233/2005

राधा मोहन राय

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

दिनांक 16.11.2005 को निर्णय के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

सही/—
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

समक्ष छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3233/2005

राधा मोहन राय
बनाम
छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

याचिकाकर्ता के लिए : श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता।

उत्तरवादीगण के लिए : श्री यशवंत सिंह ठाकुर, शासकीय अधिवक्ता।

आदेश

(16.11.2005)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान याचिका में जिला मजिस्ट्रेट, जांजगीर चांपा द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2004 को चुनौती दी गयी है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 23.12.2004 से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला जांजगीर चांपा और अन्य निकटवर्ती जिलों रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर और रायपुर की क्षेत्रीय सीमाओं से हट जाने का निदेश दिया गया है। याचिकाकर्ता अपील में पारित आदेश दिनांक 26.2.2005 को भी चुनौती दिया है, जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के अतिरिक्त मुख्य सचिव(गृह) ने आदेश दिनांक 23.12.2004 की पुष्टि की है।

2. इस मामले में संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध वर्ष 1973 से मार्च 2004 तक चोरी, डकैती, बलवा, गुंडागर्दी, आपराधिक अभित्रास, आम जनता और शासकीय अधिकारियों पर हमला, शासकीय कामकाज में बाधा उत्पन्न करने, अवैध रूप से शराब और अनाधिकृत हथियार रखने जैसे अपराधों के लिए आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 49, भारतीय दंड संहिता की धारा 107, 116(3), 120, 147, 186, 225, 294, 323, 332, 341, 342, 353, 379, 384, 392, 408, 420, 448, 467, 468, 506, 506–ख और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के अंतर्गत 23 मामला दर्ज किया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज 23 मामलों में से चार मामलों में राजीनामा हो गया, 13 मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, 2 मामलों में अर्थात् प्रकरण क्रमांक 162/99 में भारतीय दंड

संहिता की धारा 353, 332, 186, 294, 506 के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1–10) के अन्तर्गत अपराध के लिए तीन वर्ष एक माह के सश्रम कारावास एवं 400/– रूपये के जुर्माना से दंडित किया गया था, तथा प्रकरण क्रमांक 184/2001 में आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 49 के अन्तर्गत कारित अपराध के लिए याचिकाकर्ता को दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 75,000/– रूपये के जुर्माना से दंडित किया गया था। दोनों मामलों में याचिकाकर्ता को अपील में दोषमुक्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता की गतिविधियां और कार्य आम लोगों के लिए खतरा या चिंता का कारण बन रहे थे, जिसके कारण गवाह अपनी शरीर और संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में आशंका के कारण याचिकाकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे नहीं आना चाहते थे। प्रतिवादी क्रमांक 2 जिला मजिस्ट्रेट, जांजगीर–चांपा ने दिनांक 11.10.2004 को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1990') की धारा 3 और 5 के अंतर्गत कार्यवाही क्यों न किया जाए। उक्त कारण बताओ नोटिस में 23 मामलों का पूर्ववृत्त अंतर्विष्ट है, याचिकाकर्ता के विरुद्ध 20 मामले लंबित हैं, शांति भंग करने के संबंध में अभियोगपत्र, याचिकाकर्ता और उसके सहयोगियों द्वारा हमला, आपराधिक अभित्रास, गुंडागर्दी, के संबंध में बाराद्वार के नागरिक द्वारा की गयी शिकायत, तथा संपत्ति को नष्ट करना और चुनाव में आतंक पैदा करने के लिए दो रोजनामचा सान्हा भी लंबित बताए गए हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिकाकर्ता ने 23 अक्टूबर 2004 को विस्तृत जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसमें दोहरा जोखिम का प्रश्न इस आधार पर उठाया गया था कि पिछले मामलों जो या तो लंबित हैं या जिनमें याचिकाकर्ता को अपीलीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है के संबंध में याचिकाकर्ता के विरुद्ध अधिनियम, 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के अंतर्गत कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 2 ने अभियोजन पक्ष और याचिकाकर्ता के साक्ष्यों तथा दोनों पक्षों की तर्कों को सुनने के पश्चात 19 पृष्ठों का विस्तृत आदेश पारित किया। इसमें यह निष्कर्ष दिया गया है कि यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है कि याचिकाकर्ता पूर्व में भी ऐसे अपराधों में लिप्त रहा है, जिसमें बल या हिंसा का प्रयोग कर जिले में सार्वजनिक शांति और कानून व्यवस्था को खतरे में डालने या आतंकित करने का प्रयास किया गया है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने अधिनियम, 1990 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला जांजगीर– चांपा और समीपवर्ती जिला रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, रायपुर की क्षेत्रीय सीमाओं से हटा दिया है।

6. व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के समक्ष अपील प्रस्तुत की, अपर मुख्य सचिव (गृह) ने याचिकाकर्ता के सभी तर्को पर विचार किया और मामले का विस्तार से परीक्षण किया। अपर मुख्य सचिव इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अपराध और गतिविधियां और ऐसे अपराध जिनका याचिकाकर्ता द्वारा किए जाने की संभावना है, वे सभी अपराध भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI या XVII या धारा 506 के अंतर्गत दंडनीय अपराध थे। तदनुसार, अपर मुख्य सचिव ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2004 की पुष्टि किया।

7. याचिकाकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.12.2004 तथा अपर मुख्य सचिव(गृह) द्वारा अपील में पारित आदेश दिनांक 26.2.2005 को चुनौती देते हुए यह याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की है कि याचिकाकर्ता को एक जैसा अथवा उसी प्रकार के आरोपों के लिए दिनांक 8.10.2002 को ही निष्कासित किया जा चुका है, दिनांक 23.12.2004 के आक्षेपित आदेश में क्रमांक 21 से 24 पर केवल एक या दो नए आरोपों का उल्लेख किया गया है, जो कि याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 20 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा ने तर्क किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 23.12.2004 के अंतर्गत अभिकथित आरोप बिना किसी आधार के थे तथा इसमें याचिकाकर्ता का दोष स्थापित नहीं किया गया था, जिससे कि अधिनियम, 1990 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग किया जा सके। यह भी तर्क किया गया कि याचिकाकर्ता वर्ष 1994 से 2002 तक दो अवधि के लिए नगर पंचायत बाराद्वार के उपाध्यक्ष के पद पर आसीन था तथा उसकी पत्नी उक्त नगर पंचायत की अध्यक्ष थी। याचिकाकर्ता विधि का पालन करने वाला नागरिक था और आक्षेपित आदेश उसके तथा उसकी पत्नी के छवि को धूमिल करने के लिए पारित किया गया था। विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि याचिकाकर्ता ने अपने आप को ऐसे किसी कृत्य में लिप्त नहीं किया था, जिससे जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम, 1990 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत आक्षेपित आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त हो, जबकि निष्कासन का पहला आदेश दिनांक 08.12.2002 को पारित किया गया था

9. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता यशवंत सिहं ठाकुर ने इस आदेश के समर्थन में कथन किया कि याचिकाकर्ता चोरी, बलवा, छल, अनाधिकृत हथियार और अवैध शराब हथियार रखने जैसी कई गतिविधियों में संलिप्त था, जिससे सामान्य जनता में दहशत फैल रही थी, ऐसे में गवाह याचिकाकर्ता के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से गवाही देने के लिए तैयार नहीं थे। याचिकाकर्ता अपराध कारित करने के बाद फरार हो जाता है। याचिकाकर्ता पर नगर पंचायत अध्यक्ष को भी धमकी देने का आरोप है, जिसके संबंध में याचिकाकर्ता के विरुद्ध

भारतीय दंड सहिंता की धारा 107, 116(3) के अंतर्गत कार्यवाही संस्थित की गयी थी। याचिकाकर्ता आदतन कुख्यात अपराधी था और उसे हटाए जाने के संबंध में पूर्व में पारित किए आदेश की अवधि में भी उसने अपनी व्यवहार में कोई सुधार नहीं किया था।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुनने और दोनों पक्षों द्वारा याचिका के साथ प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात यह पाया गया कि जिला मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध बलवा, आम जनता और शासकीय अधिकारियों पर हमला, और कानून व्यवस्था को खतरे में डालने या आतंकित करने जैसे अपराधों के लिए लगाए गए प्रत्येक आरोप और याचिकाकर्ता के आचरण की जांच किया। यह भी पाया गया कि जनता इतनी भयभीत थी कि गवाह भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से साक्ष्य देने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। जिला मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों के संबंध में कारण बताओ नोटिस देकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया और उसे अपने व्यवहार में सुधार करने का अवसर प्रदान किया। जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 23.12.2004 को आक्षेपित आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता के सभी साक्ष्यों और तर्कों पर विचार किया था, अपीलीय प्राधिकारी ने भी दिनांक 23.12.2004 के आक्षेपित आदेश की पुष्टि करते हुए मामले की विस्तार से जांच की थी और दिनांक 26.2.2005 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा रि**ट याचिका क्रमांक 2914/2003 (कृष्ण दत्त उपाध्याय बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य)** में पारित निर्णय दिनांक 03.11.2003 पर अत्यधिक अवलंब लिया था। उक्त निर्णय उस मामले के तथ्यों पर पारित किया गया था जिसमें यह पाया गया था कि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी संतुष्टि के लिए राय बनाने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी कि याचिकाकर्ता असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर बलवा, हमला, आपराधिक अभित्रास या राजनीतिक या सांप्रदायिक गतिविधियों में शामिल था, जो सार्वजनिक व्यवस्था, शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए खतरा बन गए थे या किसी भी तरह से याचिकाकर्ता दो समुदायों के बीच वैमनस्य या घृणा पैदा करने में शामिल था।

12. वर्तमान मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि याचिकाकर्ता बलवा, हमला, आपराधिक अभित्रास जैसे कई अपराधों में शामिल था, जिससे याचिकाकर्ता सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिंए खतरा बन गया। वत मान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, **कृष्ण दत्त उपाध्याय (पूर्वोक्त)** के मामले में इस न्यायालय का निर्णय लागू नहीं होता है।

13. अधिनियम, 1990 की धारा 3 और 5 के अंतर्गत पारित निष्कासन आदेश प्रकृति में निवारक है और यह विधि का स्थापित सिद्धांत हैं कि निवारक आदेश व्यक्ति की पिछली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए पारित किए जाते हैं जिससे प्राधिकारी की संतुष्टि होती है। न्यायालय सामग्री की उपलब्धता की जांच कर सकता है लेकिन न्यायालयों को उपलब्ध सामग्री के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट की उचित व्यक्तिपरक संतुष्टि की जांच करने से बचना चाहिए। वर्तमान मामले में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद स्थापित हो गई है। मामला गुणविहीन होने के कारण इस न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

14. याचिका खारिज की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

सही/—
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Ashwani Shukla, Advocate